## फ्लेक्सीबांड 20 – रेग्युलर इन्कम बांड - विकल्प 'सी' और 'डी' का 5 मार्च 2014 को मोचन

फ्लेक्सीबांड 20 के लिए 09 जनवरी 2004 के ऑफर दस्तावेज के निबंधनों के अनुसार उपर्युक्त बांड में आपके निवेश 05 मार्च 2014 को परिपक्व हो जाएंगे और उसके बाद कोई ब्याज देय नहीं होगा. बीएसई/एनएसई को भेजे गये नोटिस के अनुसार परिपक्वता राशि की अदायगी करने के उद्देश्य से 03/02/2014 से 04/03/2014 तक ब्क-क्लोजर रहेगा.

- 2. आईडीबीआई बैंक लि. के बांडधारकों को अब मोचन के लिए मूल बांड सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है. मोचन राशि में मूलधन तथा ब्याज राशि शामिल होगी तथा यह 05 मार्च 2014 के वारंट के जरिए सभी पंजीकृत बांडधारकों (यथा रिकॉर्ड तारीख : 03 फरवरी 2014) को भेजी जाएगी.
- 3. आयकर अधिनियम 1961 के तहत टीडीएस से संबंधित प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 2010 से टीडीएस के लिए पात्र उन सभी संव्यवहारों पर विनिर्दिष्ट दर की उच्च दर पर अथवा 20% पर कर की कटौती की जाएगी जहां, जिस व्यक्ति की राशि से कटौती की जानी है उसका स्थायी खाता संख्या (पीएएन) उपलब्ध नहीं है. नए प्रावधान के अनुसार. भुगतान पर टीडीएस की कटौती न करने के लिए धारा 197ए के अंतर्गत उस व्यक्ति, जिसकी राशि से कटौती की जानेवाली है, द्वारा घोषणा भी तब तक मान्य नहीं होगी जब तक कि उसके आवेदन पर पीएएन संख्या का उल्लेख न हो. अतः सभी बांड धारकों को सूचित किया जाता है कि यदि उन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड की प्रति न दी हो तो वे उसे बांड शृंखला के रजिस्ट्रार के पास भेज दें. टीडीएस छूट प्राप्त करने के लिए पात्र और इच्छुक बांड धारक वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए अपनी **घोषणा पैन** के साथ फॉर्म 15जी / 15एच (दो प्रतियों में) 12 फरवरी 2014 से पहले प्रस्तुत कर दें (यदि अभी तक न की हो).
- 4. बांडधारक के नाम, पते व बैंक खाते में परिवर्तन, अवयस्क के वयस्क हो जाने के कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन अथवा विवाह आदि के कारण नाम में परिवर्तन की सूचना (जन्म / विवाह प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रतियों के साथ) संबंधित फोलियो नम्बर का उल्लेख करते हुए रजिस्ट्रार अर्थात् कार्वी कम्प्युटर शेयर प्रा. लि., प्लॉट नं . 17 से 24,विट्ठल राव नगर , माधापुर, हैदराबाद-500081 (टेली: 040-44655205/206/137/210, फैक्स: 040-23420814 को 03/02/2014 से पहले भेजी जाए. बांडों के अंतरण के मामले में अंतरिती को अंतरित बांड प्रमाणपत्र उक्त दिनांक से पहले रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करते हुए अपना नाम पंजीकृत कराना होगा.
- 5. आईडीबीआई बैंक लि. सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है. जिसके पास 1213 शाखाओं का एक व्यापक नेटवर्क है. इसने आईडीबीआई सुविधा फिक्स्ड डिपॉज़िट योजना सिहत विभिन्न जमा योजनाएं शुरू की हैं. इन तमाम वर्षों में बने लाभप्रद संबंधों को जारी रखने की दिशा में बैंक बांडधारकों से अनुरोध करता है कि वे फ्लेक्सीबांड की मोचन राशि बैंक की किसी भी जमा योजना में निवेश करने पर विचार करें. इस संबंध में किसी अतिरिक्त जानकारी के लिए बांडधारक बैंक की किसी भी शाखा से संपर्क कर सकते हैं.
- 6. आईडीबीआई बैंक बांडधारकों द्वारा बैंक मे विश्वास जताने के लिए उन्हें पुनः धन्यवाद देता है और अपनी जमा योजनाओं के अंतर्गत एक सम्मानित जमाकर्ता के रूप में उनके साथ संबंध बनाये रखना चाहता है. बांडधारक कृपया अपना टेलीफोन नंबर, ई-मेल पता आदि सूचित करें तािक उनसे शीघ्र संपर्क किया जा सके और साथ ही अपने पत्राचार में रजिस्टर्ड फोलियों नंबर (आरआईबी 20 XXXXXXX) का उल्लेख अवश्य करें.

(पार्था पटनायक) उप महा प्रबंधक देशी संसाधन विभाग